"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018 — चैत्र 7, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2018

आदेश

क्रमांक एफ 1-5/2017/रास/यू.-13. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा प्रोफेसर शैलेन्द्र सराफ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. प्रो. शैलेन्द्र सराफ का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी.

हस्ता./-

(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.